



श्रीमान लेखाधिकारी (वसूली)

राजस्थान आवासन मण्डल

वृत्त-प्रथम, जयपुर

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन क्रमांक :-

आय वर्ग :-

विषय :- माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2019-20 में की गयी घोषणा संख्या 222 के अन्तर्गत उक्त क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.01.2001 से पूर्व एवं दिनांक 01.01.2001 के पश्चात् आवंटित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग-(अ) के आवासों की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराई जाने हेतु ब्याज व शास्ति में शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) छूट एवं मध्यम आय वर्ग-(ब), उच्च आय वर्ग के आवासों की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ती में 50 प्रतिशत की छूट योजना के अन्तर्गत समस्त बकाया राशि की जानकारी हेतु आवेदन पत्र।

सन्दर्भ :- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि 3/2011 पार्ट/जयपुर दिनांक 12.05.2021 एवं वित्तीय सलाहकार के कार्यालय आदेश क्रमांक वसूली/2021-22/71/623 दिनांक 17.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के आवासों में राशि जमा नहीं करवायी जाने पर देय ब्याज में विशेष छूट योजना का लाभ प्रदान करते हुये समस्त बकाया (मासिक किश्त) राशि की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये अनुरोध है कि मैं आज तक की बकाया किश्तें एवं आगे की बकाया समस्त राशि छूट का लाभ लेते हुये एकमुश्त जमा कराना चाहता हूँ। कृपया मुझे जमा कराने योग्य राशि सूचित करने का कष्ट करें।

मेरे आवास से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

1. आवासीय योजना का नाम प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर
2. आवास संख्या आय वर्ग क्षेत्रफल
3. आवंटी का नाम
4. आवंटन पत्र संख्या दिनांक
5. वास्तविक कब्जा प्राप्त करने की तिथि
6. आवंटी का वर्तमान पता (जिस पर मांग - पत्र भिजवाया जाना है)
.....
.....
.....
7. फोन नं./मोबाईल नं0 एवं ई-मेल आई.डी.
8. आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्न है :-

(1) आवंटन पत्र/भौतिक कब्जे की प्रति, (आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें) (2) जमा का विवरण-पत्र (3) आधार कार्ड की प्रति ।

ब्याज में छूट का लाभ लेने के पश्चात् देय समस्त मांग राशि मेरे द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करा दी जायेगी यदि राशि जमा नहीं करायी जाती है तो उक्त आवास का आवंटन निरस्त करते हुये मेरी जमा समस्त राशि जब्त करने तथा आवास का भौतिक कब्जा वापिस प्राप्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा। इस बाबत् मेरे द्वारा कोई आक्षेप/विवाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक

नोट :- वांछित प्रपत्र/सूचना संलग्न नहीं करने पर आवासन मण्डल बकाया राशि बताने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

आवंटी के हस्ताक्षर

श्रीमान लेखाधिकारी (वसूली)

राजस्थान आवासन मण्डल

वृत्त-प्रथम, जयपुर

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन क्रमांक :-

आय वर्ग :-

विषय :- बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर लीज की ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट हेतु आवेदन पत्र।

सन्दर्भ :- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि 3/2011 पार्ट/जयपुर दिनांक 12.05.2021 एवं वित्तीय सलाहकार के कार्यालय आदेश क्रमांक वसूली/2021-22/71/623 दिनांक 17.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशानुसार लीज राशि के ब्याज में छूट योजना 2021-22 के अन्तर्गत मैं योजनानुसार छूट का लाभ प्राप्त कर 31.07.2021 तक बकाया लीज राशि मय आगामी देय एकमुश्त लीज राशि जमा कराने को तैयार हूँ। कृपया मुझे बकाया लीज पर देय ब्याज की छूट प्रदान करने के पश्चात् जमा कराने योग्य राशि सूचित करने का कष्ट करें।

मेरे आवास/व्याव.भूखण्ड/संस्थानिक भूमि से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

1. आवासीय योजना का नाम प्रताप नगर, सांगानेर, शहर का नाम जयपुर
2. आवास/व्याव.भूखण्ड/संस्थानिक संख्या आय वर्ग
3. आवंटी का नाम
4. आवंटन पत्र संख्या दिनांक कब्जा प्राप्त करने की दिनांक
5. आवंटी का वर्तमान पता

(जिस पर मांग - पत्र भिजवाया जाना है)

6. दूरभाष/मोबाईल नं0 ई-मेल आई.डी.

7. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न है :-

(1) आवंटन पत्र/भौतिक कब्जे की प्रति, (आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।) (2) जमा लीज राशि का विवरण-पत्र (3) चालानों की प्रमाणित प्रतियाँ (4) यदि अदेय प्रमाण पत्र/नियमतिकरण पत्र जारी है तो सत्यापित प्रति।

मैं दिनांक 31.07.2021 तक बकाया राशि जमा कराने के लिये तैयार हूँ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक

नोट :- वांछित प्रपत्र/सूचना संलग्न नहीं करने पर आवासन मण्डल बकाया लीज राशि बताने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

भवदीय,

आवंटी के हस्ताक्षर



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर वृत्त प्रथम, जयपुर

आवंटी का नाम मकान नं. आवंटन पत्र संख्या दिनांक

योजना शहर वास्तविक कब्जा दिनांक

प्रथम मासिक किशत देय दिनांक.....

क्र. सं.	घालान बुक सं.	बैंक/काउन्टर में जमा की दिनांक	आवंटी द्वारा भरा जायेगा							कुल योग	बैंक का नाम मय प्रांत का नाम/ काउन्टर नं.	रोकड़ बही/बैंक विवरण सं.	जमा करने की दिनांक	जमा राशि रुपये	सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर
			किशत	पेनेन्टी/ ब्याज	तीज	सेवा कर जी.एस.टी.	आवंटी द्वारा भरा जायेगा								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

नोट:- कृपया आवंटन पत्र एवं भौतिक कब्जे की प्रति भी संलग्न करें।

हस्ताक्षर आवन्टी

कृपया पृष्ठ उलटिये

क्र. सं.	चालान बुक सं.	बैंक/काउन्टर में जमा की दिनांक	आवंट. द्वारा भरा जायेगा					कार्यालय उपयोग हेतु				
			किश्त	पेनेल्टी/ ब्याज	लीज	सेवा कर जी.एस.टी.	कुल योग	बैंक का नाम मय ब्रांच का नाम/ काउन्टर नं.	रोकड़ बही/बैंक विवरण सं.	जमा कराने की दिनांक	जमा राशि रुपये	सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

हस्ताक्षर आवन्टी